न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– आरटीए / 265 / 2013

उनवान

1. हरनाथ आत्मज सूरजा मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. श्रीमती चांदी पत्नी हरनाथ मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स / विपक्षीगण

बनाम

1. प्यारा आत्मज गोपी भील निवासी मोडारडा तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डलगढ जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी संख्या1 / प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्व जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 15 / 2013 निर्णय दिनांक 29.7.2013

अभिभाषक : 1. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता अपीलार्थी संख्या 1
3 .श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 29.06.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 / प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धनवाडा तहसील माण्डलगढ स्थित आराजी नम्बर 800

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये जाने में कानूनी व वाकियाती त्रुटि की गई है चूंकि विपक्षी नम्बर 1 द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र बिना किसी दिनांक व आराजी नम्बर के पेश किया , हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट किस दिनांक को की गई अंकित नहीं है। पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 800 बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर आराजी नम्बर का स्थान रिक्त छोडा था । इस प्रकार आवंटन प्रक्रिया पूर्णतया नहीं होने से आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की सिफारिश भी अधूरी होकर उसके दिनांक अंकित नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर आवंटन से पहले से ही प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है कब्जे के बाबत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इस प्रकार प्रार्थी को मौके से न तो बेदखल किया गया एवं नहीं सुना गया । आवंटित भूमि पर विपक्षीगण को कभी भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है। उक्त आवंटन संवत 2059 यानि सन् 2002 में किया गया जिसे रेकार्ड में संवत 2062 में गैर खातेदारी में अंकन किया गया । वादग्रस्त भूमि पर आवंटन नियमों की पालना में आवंटी/विपक्षीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है एवं न ही उनके द्वारा आवंटन वर्ष 2059 के तीन वर्षो तक काश्त ही की गई है। आज भी प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी को विपक्षी संख्या ,1,2,द्वारा दिनांक 4.12.2013 को जब बेदखल करने का प्रयास किया तब जाकर अपीलार्थी को जानकारी हुई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 29.7.2013 को प्रार्थी का प्रार्थना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि को सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थीगण को तत्समय जानकारी नहीं हो सकी । अधिवक्ता से जानकारी करने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । तब जाकर अपीलार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि ग्राम धनवाडा में हाल आराजी नम्बर 800 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा में से अपीलार्थीगण को 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 2.6.2002 को आवंटन किया गया जिसके आराजी नम्बर 1314/800 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कायम किये जाकर अपीलार्थीगण के गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। आवंटन योग्य भूमि पर किसी का व्यक्ति का नाजायज कब्जा हो तो भी उस भूमि का आवंटन किये जाने में कानूनी बाधा नहीं है वह भूमि रिक्त मानी जाती है। अपीलाधीन मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाजायज कब्जा होने से उसे बेदखल किया गया और प्रत्यर्थी के बेकब्जा होने की स्थिति में वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलार्थीगण किया गया है। नाजायज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कब्जेधारी को आवंटन नियमों में कोई रियायत का प्रावधान नहीं है। अपीलार्थीगण की पात्रता की जांच करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का आंवटन अपीलार्थीगण को किया गया है जहॉ तक आवेदन पत्र में पूर्ति अपूर्ण होने का प्रश्न है सहवन से रही होंगी। यदि सहवन से आवेदन पत्र में दिनांक संबंधी पूर्ति पूर्ण नहीं हो तो उसके लिए आवंटी जिम्मेदार नहीं होता है, न ही अपीलार्थी द्वारा इसमें कोई छल कपट किया जाना प्रतीत होता है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मात्र आवेदन व पटवार हल्का रिपोर्ट पर दिनांक अंकित नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त आवेदन व रिपोर्ट पटवारी फर्जी है। उक्त अंकन सहवन से भी रह जाता है। आवेदन पत्र पर दिनांक अंकित होने से भी यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा आवंटन छल कपट द्वारा कराया गया हो। कई बार आवंटन आवेदन पंचायत मुख्यालय अथवा पंचायत के ही अन्य गावं में ले लिये जाते हैं व उनका निस्तारण आवंटन करने योग्य भूमि वाले गांव में होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार किये बिना ही आवेदन स्वीकार कर आवंटन खारिज किये जाने में भारी भूल की है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि यदि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है तो इसके लिए आवंटी जिम्मेदार नहीं होता है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी न्यायिक उद्धरण आर आर डी 2007 पेज 728 में प्रतिपादित किया गया है। जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण आवंटन की दिनांक अंकित नहीं है। जहॉ तक अपीलाण्ट संख्या 2 द्वारा आवंटन आवेदन प्रस्तुत नहीं करने का प्रश्न है । अपीलार्थी संख्या 2 अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1 की पत्नि है। यह तो सुविधा के लिहाज से कि अपीलार्थी संख्या 1 अपीलार्थी संख्या 2 की बिना सहमति के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद भूमि विक्रय नहीं कर दे तथा घर गृहस्थी चले कारण आवंटनर सलाहकार समिति द्वारा अपीलार्थी संख्या 2 के नाम भी अपीलार्थी संख्या 1 के साथ ही दर्ज किया गया है। इससे अपीलार्थी संख्या 2 के महिला होने से सम्मान के तौर पर नाम दर्ज किया गया है इससे छल, कपट व मिथ्या दुर्व्यपदेशन साबित नहीं होता है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने बरसात होने पर वादग्रस्त भूमि का काश्त की है इस संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की है जिसमें संवत 2063 से संवत 2065 में मक्का की फसल काश्त किया जाना अंकित है। अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि को काश्त योग्य बनाने के लिए काफी परिश्रम एवं लागत लगाई है। कृषि मानसून पर निर्भर करती है इसलिए नियमों संशोधन हो चुका है । अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि का आवंटन छल, कपट या मिथ्या दुर्व्यपदेशन द्वारा नहीं करवाया है। प्रत्यर्थी ने जिन नियमों के तहत अपीलार्थीगण का आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है उसमें यदि आवंटी ने छल–कपट पूर्वक तथ्या मिथ्या दुर्व्यपदेशन द्वारा आवंटन कराया हो तो भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 प्यारा व्यक्तिगत तौर पर अपीलार्थीगण से द्वेषता रखता है। इसलिए आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर डी 2007 पेज 480 व 728 आर आर डी 2008 पेज 125, आर आर टी 2009(2) नंत 1273 एवं डी एन जे 2017 रेवेन्यू पेज 194 की ओर ध्यान आकर्षित किया।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। आवंटन शर्ते आवंटन की दिनांक से ही लागू हो जाती है। आवंटित भूमि में से 50 प्रतिशत भूभाग पर प्रथम वर्ष में एवं 100 प्रतिशत अगले वर्ष में काश्त किया जाना आवश्यक है जो कि नहीं किया गया । अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने भी अधीनस्थ न्यायालय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन कियां।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्याायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अपीलार्थीगण का कथन है कि उनके द्वारा छल–कपट या मिथ्यादुर्व्यपदेशन द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन नहीं कराया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना की है एवं उस पर काश्त की है। आवेदन पत्र में पूर्ति नहीं करने का दोषी आवंटी नहीं है। सहवन से पूर्ति नहीं की गई होगी। इस सबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र में हरनाथ पिता सुखा मीणा का नाम लिखा गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर भी हरनाथ मीणा के ही है । पटवारी हल्का द्वारा भी प्रार्थी द्वारा ग्राम धनवाडा में आवंटन चाहने का तथ्य अंकित किया है। उक्त आवेदन पत्र में कहीं पर भी श्रीमती चांदी जो कि अपीलार्थी की पत्नि है के हस्ताक्षर नहीं है एवं न प्रार्थना पत्र में ही श्रीमती चांदी का नाम अंकित है। जहॉ तक आवंटन के पश्चात नियत शर्तो की पालना में अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा काश्त की गई थी। अपीलार्थी ने आवंटन के पश्चात 2 वर्ष में कभी काश्त की हो इस संबंध में कोई राजस्व रेकार्ड उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जाकाश्त होने संबंधी कोई साक्ष्य, दस्तोवज प्रस्तुत नहीं किया है। इसी कारण अपीलार्थी राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार के रूप में ही दर्ज है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2062–2065 में से भी संवत 2063, 2064 एवं 2065 में खरीफ में फसल काश्त का अंकन है परन्तु आवंटन आदेश के साथ सुपुर्दगी नामा वर्ष 2002 का यानि संवत 2059 का है। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। आवंटन खारिज किया ग या है परन्तु रेस्पोडेण्ट के पक्ष में आवंटन के आदेश नहीं किये गये है। भूमि को रिक्त मानते हुए ही आवंटन किया गया है एवं आवंटन शर्तो की पालना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नही करने पर ही आवंटन खारिज किया गया है। चूंकि उक्त आवंटन नियत शर्तो पर किया गया था। शर्तो की पालना आवंटिति द्वारा किया जाना अनिवार्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.7.2013 को यथावत रखा जाता है।

13. निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

29/6/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा